



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2012/माघ 7, 1933

No. 34]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2012/MAGHA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 53(अ).—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (स्टाफ कार ड्राइवर) (समूह 'ग' भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर से है, उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (स्टाफ कार ड्राइवर, समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि सदर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में समनुदेशित है,

- (ख) “काडर” से स्टाफ कार ड्राइवर का काडर अभिप्रेत है। प्रत्येक मंत्रालय के पास स्टाफ कार ड्राइवर का स्वयं पृथक और स्वतंत्र काडर होगा जो स्टाफ कार ड्राइवर की अपनी-अपनी श्रेणी में इन नियमों के उपाबध में यथाविनिर्दिष्ट पदों की कुल संख्या से समाविष्ट होगा,
- (ग) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) “आयोग” से कर्मचारी चयन आयोग या इन नियमों के अंतर्गत काडरों के लिए अन्य भर्ती अभिकरण अभिप्रेत है, जिसको सरकार गठन कर सकेगी,
- (ङ) “महालेखा नियंत्रक” से वय्य विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत है जिसमें अपर महालेखा नियंत्रक या संयुक्त महालेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक सम्मिलित हैं।
- (च) “मंत्रालय” से भारत सरकार का मंत्रालय अभिप्रेत है और इसमें इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट मंत्रालय के विभाग या कार्यालय सम्मिलित हैं;
- (छ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ज) “सेवा” से केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह ‘ग’) अभिप्रेत है;
- (झ) “संगठित लेखा सेवा” में सरकार के लेखा और संपरीक्षा विभागों, रक्षा लेखाओं, रेल लेखाओं, डाक और टेलीग्राफ लेखा में लेखा सेवा और टेलीकाम लेखा सम्मिलित है।
3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह /वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ 2 से स्तभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/ उक्त अनुसूची के स्तभ 5 से स्तभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
5. स्थानान्तरण - (1) स्टाफ कार ड्राइवर भारत के किसी भाग में सेवा करने के लिए दायी होगा।
(2) महालेखा नियंत्रक का यदि समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है तो वह आदेश द्वारा और कारण लेखबद्ध करके अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसी श्रेणी में एक मंत्रालय से दूसरे में स्थानान्तरण कर दिया जाएगा।

6. निरर्हता -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1. स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी	2 3* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजप्रति अननु सचिवीय	4 वेतन बैंड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 1900 रु.	5 लागू नहीं होता	6 लागू नहीं होता	7 पचीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <u>टिप्पण 1</u> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। <u>टिप्पण 2</u> : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयित तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।</p>	<p>परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।</p>
<p>(8)</p> <p>आवश्यक - (I) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो (II) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी के पास यान में छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए) (III) कम से कम तीन वर्षों का मोटर-कार चालन का अनुभव (IV) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।</p>	<p>(9)</p> <p>लागू नहीं होता</p>	<p>(10)</p> <p>दो वर्ष</p>
<p>भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	
<p>11</p>	<p>12</p>	
<p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन</p>	<p>1. प्रतिनियुक्ति या आमेलन - सिविल लेखा सगठन के नियमित सवार हरकारा और बहु कार्य कर्मचारिवृन्द में से जो मोटर कार चालन की सक्षमता निर्धारण करने के चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जिसके न हो सकने पर नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण कर रहे पदधारी या केन्द्रीय सरकारों के अन्य मंत्रालयों में से जो ऊपर स्तंभ 8 में यथा उल्लिखित अर्हताएं रखते हो।</p> <p>2. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन - सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के सबध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख में उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहन दिया जा मकेगा।</p> <p>3. कर्मचारी चयन आयोग/रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती</p>	

11	12																						
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर, साधारण श्रेणी जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।		14	लागू नहीं होता																			लागू नहीं होता
			13	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: लेखा नियंत्रक/ उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष *	उपलेखा नियंत्रक - सदस्य **	ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य	* उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष होगा यदि मंत्रालय में कोई लेखा नियंत्रक नहीं है जहां विभागीय प्रोन्नति समिति है।	** उप लेखा नियंत्रक को यथास्थिति सहायक लेखा नियंत्रक ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, यदि उपलेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है।															
3. स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी-I	4* (2010)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2	3	4	5	6	7															

यदि विभागीय प्रान्ति समिति इ.ता, उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा				
13		14				
मपूह 'ग' विभागीय प्रान्ति समिति लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष *		लागू नहीं होता				
उपलेखा नियंत्रक - सदस्य **						
ज्युस्ट लेखा अधिकारी/वित्तन और लेखा अधिकारी - सदस्य						
* उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष होगा यदि मंत्रालय में कोई लेखा नियंत्रक नहीं है जहां विभागीय प्रान्ति समिति है।						
** उप लेखा नियंत्रक, को यथास्थिति सहायक लेखा नियंत्रक या ज्युस्ट लेखा अधिकारी या वित्तन और लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता, यदि उप लेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है।						
1	2	3	4	5	6	7
2 स्टाफ कार चालक श्रेणी-2	3* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, मपूह 'ग' अराजपत्रित अननु सचिवीय	वित्त बँड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2400 रु	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता
(8)		(9)		(10)		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12	
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति :- ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी - 2 जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 जिसने स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 और स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी की श्रेणियों में तेरह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है।</p>	
13	14	लागू नहीं होता
<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : लेखा नियंत्रक/ उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष *</p> <p>उपलेखा नियंत्रक - सदस्य **</p> <p>ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य</p> <p>* उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष होगा यदि मंत्रालय में कोई लेखा नियंत्रक नहीं है जहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति है।</p> <p>** उप लेखा नियंत्रक यथास्थिति सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, यदि उपलेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है।</p>		

1	2	3	4	5	6	7
4	स्टाफ काग चालक विशेष श्रेणी	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननु- सचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300- 34800 और ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	नहीं लागू नहीं होता
(8)						
लागू नहीं होता			(9)		(10)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
(11)						
12						
प्रोन्नति - एम। स्टाफ कार चालक श्रेणी-I जिसमें उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।						
प्रोन्नति द्वारा						

13	14
<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : लेखा नियंत्रक/ उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष *</p> <p>उपलेखा नियंत्रक - सदस्य **</p> <p>ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य</p> <p>* उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष होगा यदि मंत्रालय में कोई लेखा नियंत्रक नहीं है जहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति है।</p> <p>** उप लेखा नियंत्रक यथास्थिति सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, यदि उपलेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

[फा. सं. ए-11020/4/2010/एमएफ. सीजीए/आरआर]

सोनाली सिंह, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

उपाबंध

स्टाफ कार ड्राइवरोँ की स्वीकृत संख्या

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पदों की संख्या
1.	कृषि	1
2.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	1
3.	केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	1
4.	वाणिज्य और कपड़ा	1
5.	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण	1
6.	विदेश	1
7.	गृह	1
8.	सूचना प्रसारण	1
9.	उद्योग	1
10.	जल भूतल	1
11.	शहरी विकास	1
	कुल	11

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 53(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Staff Car Driver) Group C posts Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to Staff Car Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Staff Car Driver, Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Appointing authority” shall have the same meaning as assigned to in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(b) “Cadre” means the cadre of Staff Car Driver. Each Ministry shall have its own separate and independent cadre of Staff Car Driver comprising total number of posts as specified in the Annexure to these rules, in the respective grade of Staff Car Driver;

(c) “Government” means the Government of India;

(d) “Commission” means the Staff Selection Commission or any other recruiting agency for the cadres covered by these rules, which the Government may constitute;

(e) “Controller General of Accounts” means the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and includes Additional Controller General of Accounts or Joint Controller General of Accounts or Deputy Controller General of Accounts or Assistant Controller General of Accounts authorised by the Controller General of Accounts to exercise powers under these rules;

(f) “Ministry” means a Ministry in the Government of India and includes Departments of the Ministry or an Office specified in the Annexure to these rules;-

(g) “Schedule” means Schedule annexed to these rules;

(h) “Service” means the Central Civil Accounts Service (Group ‘C’);

(i) “Organised Accounts Services” include the Accounts Services in the Departments of Audit and Accounts, Defence Accounts, Railway Accounts, Post and Telegraph Accounts and Telecom Accounts in the Government.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.— The number of posts, their classification and pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, educational qualification etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

5. Transfer.— (1) Staff Car Driver shall be liable to serve in any part of India.

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing, transfer a Staff Car Driver on request by officer, from one Ministry to the other in the same grade.

6. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale.
1	2	3	4
Staff Car Driver- Ordinary Grade.	3*(2010) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group-C Non- Gazetted Non- Ministerial.	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 1900.
Whether selection post or non- selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service(Pension) Rules,1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Not applicable.	Not applicable.	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing	Essential: (i) Possession of a valid driving licence for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanism(the candidate should be able to remove minor defects in vehicle). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years.

1.

		<p>date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh District of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh. Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the</p>	<p>(iv) Matriculation or equivalent pass from recognised School/Board.</p>
--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
9 Not applicable.	10 Two years.	11 Deputation or absorption, failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen Deputation / re-employment.	12 1. Deputation or absorption: From amongst the regular Dispatch rider and Multi tasking staff in the Civil Accounts Organisation who possesses valid driving licence for motor cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars, failing which from amongst officials holding the post of Dispatch rider on regular basis or regular Multi tasking staff in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary

qualifications as mentioned in column 8 above.

2. For Ex-servicemen

Deputation/re-employment:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be appointed on deputation basis up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment (the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

3. Direct recruitment through

287 9/12-3

Staff Selection Commission /Employment Exchange.		
Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
14	13	
Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee</p> <p>Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- Chairman*</p> <p>Deputy Controller of Accounts- Member**</p> <p>Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-Member</p> <p>* Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental promotion Committee takes place.</p> <p>** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available</p>	
4	1	2
Pay Band -1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 2400.	3	3
8	5	6
	2.	7
		8
		9
		10

2.

Non- Selection.	No.	Not applicable.	Not applicable.
9	10	11	12
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Ordinary Grade with eight years regular service in the grade.
13			14
Group 'C' Departmental Promotion Committee			Not applicable.
Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- Chairman* Deputy Controller of Accounts- Member** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer- Member * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available			
1	2	3	4
Staff Car Driver Grade- I.	4*(2010) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group-C Non- Gazetted Non- Ministerial.	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 2800.
5	6	7	8

3.

Non- Selection.	No.	Not applicable.	Not applicable.
9	10	11	12
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade II with five years regular service in the grade, failing which Staff Car Driver Grade II with thirteen years combined regular service in the grades of Staff Car Driver Grade -II and Staff Car Driver Ordinary Grade.
13			14
Group 'C' Departmental Promotion Committee			Not applicable.
Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- Chairman* Deputy Controller of Accounts- Member** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer- Member * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.			
1	2	3	4

Staff Car Driver-Special Grade.	1*(2010)* subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group-C Non- Gazetted Non- Ministerial.	Pay Band -2 Rs. 9300-34800 +Grade Pay of Rs. 4200.
5	6	7	8
Non- Selection.	No.	Not applicable.	Not applicable.
9	10	11	12
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion : Staff Car Driver Grade I with three years regular service in the grade.
13			14
Group 'C' Departmental Promotion Committee Controller of Accounts/Deputy Controller General of Accounts- Chairman* Deputy Controller of Accounts- Member** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer- Member * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.			Not applicable.

[F. No A-11020/4/2010/MF.CGA/RR]

SONALI SINGH, Jt. Controller General of Accounts

ANNEXURE**SANCTIONED STRENGTH OF Staff Car Drivers**

Sl.No.	Ministry/Deptt.	No.of posts
1.	Agriculture	1
2.	Central Board of Direct Taxes	1
3.	Central Boar of Excise and Customs	1
4.	Commerce & Textile	1
5.	Consumer Affairs & Public Distribution	1
6.	External Affairs	1
7.	Home Affairs	1
8.	Information & Broadcasting	1
9.	Industry	1
10.	Road Transport & Highway & Shipping	1
11.	Urban Development	1
	TOTAL	11